

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-22.03.2024

सेवा में,

P Gaba,
Medicant hospital research centre pvt. ltd.
Gurgaon.

विषय:- Medicant Hospital Research Centre Pvt. Ltd., PLOT NO. 11/AA-119/139 BIADA OFFICERS COLONY, NH23 अस्पताल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में संबंधित अस्पताल भवन में कराये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बोकारो से कराई गई। उनके ज्ञापांक-84 दिनांक-21.03.2024 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. अस्पताल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. अस्पताल भवन में निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. अस्पताल भवन में किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
5. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संधारित रखा जाय।
6. अस्पताल भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
7. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
8. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
9. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
10. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
11. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
13. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्प्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. संबंधित अस्पताल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित अस्पताल भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र को स्वतः रद्द समझा जायेगा।
17. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-21.03.2025 तक के लिये मान्य है।

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।